राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर

क्रमांकः परि/जि.प.अ./या.वा.प्र./2019/ दिनांकः

प्रकरण विवरणः–

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39 के प्रावधानानुसार मोटर वाहन का पंजीयन कराना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम की धारा 41(7) एवं सहपठित राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2 (क) के अनुसार ऐसे परिवहन यान (Transport Vehicle) जिन्होंने प्रथम पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् वाहनों का नियमानुसार पुनः पंजीयन नहीं कराया है। ऐसे समस्त वाहनस्वामियों को, परिवहन विभाग, राजस्थान के कार्यालय आदेश 35/2016 के निर्देशानुसार, इस कार्यालय द्वारा नोटिस क्रमांक 9825 दिनांक 29.08.2018 के जरिए दैनिक समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित कर संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इसके प्रत्युत्तर में संबंधित वाहनस्वामियों द्वारा नोटिस प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस तक अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करने तथा वाहन का मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.2 (क) के अनुरूप पुनः पंजीयन नहीं कराने की दशा में उन वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53(1)(a) एवं विभागीय कार्यालय आदेश 35/2016 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही के अन्तर्गत पंजीयन अधिकारी द्वारा वाहन संख्या RJ14T 2770 से RJ14T 4755 तक के उन वाहनों को छोडकर (जिन्होंने पुनः पंजीयन या वाहन की श्रेणी परिवर्तन करवा लिया है) शेष वाहनों के पंजीयन एवं पंजीयन प्रमाण पत्र आदेश क्रमांक 12674–679 दिनांक 26.10.2018 द्वारा उनके पुनः पंजीयन नहीं करवाये जाने की अवधि तक के लिए निलम्बित किये गये थे।

निर्णयः–

उक्त कार्यालय आदेश से प्रभावित निलम्बित वाहन आज दिनांक 07.08.2019 तक पुनः पंजीयन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इन वाहनों की निलम्बन अवधि 6 माह से अधिक समय तक निर्बाध रूप से निरन्तर रही है। इस स्थिति में यह मानने का पर्याप्त आधार बनता है कि उक्त निलम्बित वाहनों का अस्तित्व नहीं है, अतएव मैं राजीव विजय पंजीयन अधिकारी, यात्री वाहन (प्रथम) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर वाहन संख्या RJ14T 2770 से RJ14T 4755 तक के उन वाहनों को छोडकर (जिन्होंने पुनः पंजीयन या वाहन की श्रेणी परिवर्तन करवा लिया है) शेष के पंजीयन एवं पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 54 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त करता हूं।

यह निर्णय मेरे हस्ताक्षर मय कार्यालय की मुहर से जारी किया गया है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Sd
(राजीव विजय)
पंजीयन अधिकारी, यात्री वाहन (प्रथम)
, झालाना डूंगरी, जयपुर

क्रमांकः परि/जि.प.अ./या.वा.प्र./2019/ 6744–43 दिनांकः 8/8/19

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अपर परिवहन आयुक्त (यो.वि.), परिवहन विभाग, जयपुर।
2. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(राजीव विजय)
पंजीयन अधिकारी, यात्री वाहन (प्रथम)
, झालाना डूंगरी, जयपुर

Scanned by CamScanner